प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

सेवा में,

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
मुख्य पीठ (प्रिंसिपल बेंच),
नई दिल्ली।

पत्रांक 3269/7—पं0रा0/जि0गं0स0/2023—24 दिनांक 12 फरवरी, 2024

विषय :— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर—367/2022 (राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 28.08.2023 एवं 04.12.2023 को पारित आदेश का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा टेंगरा मोड़ पर गंगा नदी में मिलने वाले नाले में बहने वाले दूषित जल को शोधित किये जाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि जनपद—चन्दौली में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज—1 से निकलने वाले नाले का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि यह नाला रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज—1 जोकि ग्राम पंचायत पटनवा विकास खण्ड नियामताबाद के अन्तर्गत स्थित है, वहां से निकलकर हमीदपुर गांव होते हुए टेंगरामोड़ से दक्षिण—पश्चिम में गंगा नदी में गिरता है। नाले में दूषित जल का प्रवाह इतना अधिक है कि इसको रोक पाना अथवा फिल्टरेशन का कार्य कराया जाना ग्राम पंचायत से सम्भव नही है।

उक्त के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चन्दौली को पत्र संख्या—2839 दिनांक 02.11.2023 प्रेषित किया गया। इस पत्र द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चन्दौली से अनुरोध किया गया कि गंगा नदी में मिल रहे उक्त नाले के निस्तारण हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें लेकिन महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इस कार्य को कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गयी और यह बताया गया कि यह कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा ही कराया जाना सम्भव है। साक्ष्य के रूप में उपरोक्त पत्र की प्रति **संलग्न—1** के रूप में संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होने वाली जिला गंगा समिति एवं पर्यावरण समिति की बैठक में भी मेरे द्वारा इस समस्या को रखा गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी स्वयं संज्ञान लेते हुए मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना मा0 अधिकरण को भी उपलब्ध करायें, जिसके क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली द्वारा कार्यालय पत्रांक 3603 दिनांक 12.01.2024 द्वारा उपरोक्त कार्य को कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी से अनुरोध किया गया। **संलग्नक—2**

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी ने सन्दर्भ संख्या—2108 दिनांक 24.01.2024 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली को अपनी विस्तृत रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा किया है कि **"टेंगरा मोड़ रामनगर नाला जिसे घुरहा नाला के नाम से जाना जाता है, इसमें रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज—1 का दूषित जल मिलने के साथ ही ग्राम पंचायत हमीदपुर एवं ग्राम पंचायत पटनवां की बस्ती से भी दूषित जल प्रवाहित होकर इस नाले में मिलता है, जिसके शोधन हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुरोध किया गया है।"**

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि नाले में दूषित जल का प्रवाह काफी अधिक होने से इसके दूषित जल को शोधित कराये जाने का कार्य ग्राम पंचायत से सम्भव न होने के कारण जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के कार्यालय पत्रांक 3755 दिनांक 01.02.2024 द्वारा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम उ0प्र0

जल निगम (नगरीय) भगवानपुर, वाराणसी को निर्देशित किया गया है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से सम्बन्धित घुरहा नाला का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर औद्योगिक क्षेत्र रामनगर फेज–1 से निकलने वाले के दूषित जल को शोधित करने हेतु प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, जिससे कार्ययोजना के अनुरूप कार्य को कराया जा सके। (संलग्नक -3)

अस्तु उपरोक्त आख्या मा0 अधिकरण की सेवा में प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि प्राक्कलन प्राप्त हो जाने पर जिलाधिकारी महोदय चन्दौली के माध्यम से अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कराकर प्रश्नगत नाले से बहने वाले दूषित जल को शोधन करने का कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

12/2/2024

(ब्रह्मचारी दूबे)
जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

पत्रांक /**दिनांकित।**

प्रतिलिपि :–**1.** प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग रामनगर–वाराणसी को सूचनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रथम उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) भगवानपुर, वाराणसी।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

संलग्नक - 1

जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

सेवा में,

महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र
चन्दौली।

पत्रांक 2839/7–पं०रा० / जि०गं०स० / 2023–24 दिनांक 02 नवम्बर, 2023

विषय :– औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 से हमीदपुर ग्राम पंचायत से होते हुए टेंगरामोड़ से दक्षिण–पश्चिम में गंगा में मिल रहे नाले के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जिला गंगा समिति के कार्यवृत्त संख्या–1921 दिनांक 25.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिला गंगा समिति के बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा ज़िलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि रामनगर औद्योगिकी फेज–1 से हमीदपुर–टेंगरामोड़ होते हुए वाराणसी जनपद में गंगा नदी में जा रहे नाले का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि यह नाला रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 से हमीदपुर गांव से होते हुए टेंगरा मोड़ से दक्षिण–पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाता है। नाले में दूषित जल का प्रवाह इतना अधिक है कि इसको रोक पाना अथवा फ़िल्टरेशन का कार्य कराया जाना ग्राम पंचायत से सम्भव नही है।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि गंगा में मिल रहे नाले के निस्तारण हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ठ करें।

भवदीय

2/11/2023

(ब्रह्मचारी दूबे)
जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

पत्रांक 30 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :–1. प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग रामनगर–वाराणसी को सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

संलग्नक - 2

प्रेषक,
जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

सेवा में,
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
वाराणसी।

दिनांक 12 जनवरी, 2024

पत्रांक 3603/7–पं0रा0/जि0गं0स0/2023–24

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर–367/2022 (राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या–1940 दिनांक 15.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा उपर्युक्त वाद में दिनांक 04.12.2023 को पारित आदेश का उल्लेख करते हुए आदेश के अनुपालनार्थ पत्र प्रेषित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि जनपद–चन्दौली में रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 से निकलने वाले नाले का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि यह नाला रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 जोकि ग्राम पंचायत पटनवा विकास खण्ड नियामताबाद के अन्तर्गत स्थित है, वहां से निकलकर हमीदपुर गांव होते हुए टेंगरामोड़ से दक्षिण–पश्चिम में गंगा नदी में गिरता है। नाले में दूषित जल का प्रवाह इतना अधिक है कि इसको रोक पाना अथवा फिल्टरेशन का कार्य कराया जाना ग्राम पंचायत से सम्भव नही है।

उक्त के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चन्दौली को पत्र संख्या–2839 दिनांक 02.11.2023 प्रेषित किया गया। इस पत्र द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र चन्दौली से अनुरोध किया गया कि गंगा नदी में मिल रहे उक्त नाले के निस्तारण हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें लेकिन महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इस कार्य को कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की गयी और यह बताया गया कि यह कार्य उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा ही कराया जाना सम्भव है। साक्ष्य के रूप में उपरोक्त पत्र की प्रति संलग्न की जा रही है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होने वाली जिला गंगा समिति एवं पर्यावरण समिति की बैठक में भी मेरे द्वारा इस समस्या को रखा गया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकरण को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी स्वयं संज्ञान लेते हुए मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना मा0 अधिकरण को भी उपलब्ध करायें।

अतः आपसे अनुरोध है कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज–1 से निकलकर वाराणसी जनपद की सीमा में टेंगरामोड़ के पास गंगा नदी में मिलने वाले इस नाले के जल को शोधित (फिल्टरेशन) करने का कार्य मा0 अधिकरण के द्वारा पारित आदेश के क्रम में कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
12/01/2024

(ब्रह्मचारी दूबे)
जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

पत्रांक 3603 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :–1. प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव प्रभाग रामनगर–वाराणसी को सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय चन्दौली की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर–367/202 के क्रम (राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0) में पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/01/2024

जिला पंचायत राज अधिकारी
चन्दौली।

संलग्नक - 3

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक 3755/7–पं०रा०/जि०गं०स०/2023–24 दिनांक– 01 फरवरी, 2024

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड प्रथम
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)
भगवानपुर, वाराणसी।

कृपया पत्र के साथ संलग्न उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी के सन्दर्भ संख्या–2108 दिनांक 14.01.2024 के साथ संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें पेज संख्या–12 पर बिन्दु संख्या–3.2 में उल्लिखित है कि टेंगरा मोड़ रामनगर नाला जोकि गंगा नदी में प्रवाहित होता है, इसे घुरहा नाला के नाम से जाना जाता है। इस नाले से रामनगर इन्डस्ट्रीयल एरिया फेज–1 से प्रवाहित होने वाले दूषित जल तथा ग्राम पंचायत पटनवा व हमीदपुर जनपद–चन्दौली के बसावटों से भी छोटे–छोटे नाले इस नाले में मिलकर गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे है। इस प्रदूषण को कम किये जाने के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के न्यायालय में आरिजनल एप्लीकेशन नम्बर 367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 04.12.2023 को आदेश पारित किया गया है। इसके पूर्व ओरिजनल एप्लीकेशन नम्बर–367/2022 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 28.08.2023 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की गयी थी :–

- At least 25% of treated waste water within 6 months:
- At least 50% of treated waste water within 12 months:
- At least 75% of treated waste water within 24 months:
- 100% of treated waste water within 48 months:
- The domestic sewage generated from the multimodal terminal should also be treated by installation of adequate STP and the treated effluent shall be reused in the terminal area for gardening/irrigation/dust suppression.
- District panchayati raj officer, chandauli may be directed to develop faecal sludge & septage management system for the treatment of the municipal sewage, generated from habitations near Ghuraha drain, either through faecal sludge treatment plant or co-processing at nearby STPs at Ramnagar or Ramna-varanasi."

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए तथा स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर औद्योगिक क्षेत्र रामनगर फेज–1 से निकलने वाले घुरहा नाले के दूषित जल को शोधित करने हेतु प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, जिससे गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले जल को शोधित कराया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

01/02
(निखिल टी० फुन्डे)
जिलाधिकारी
चन्दौली।

पत्रांक 3755 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड वाराणसी।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी चन्दौली।
3. मुख्य विकास अधिकारी चन्दौली।

जिलाधिकारी
चन्दौली।